CNR NO UPDE 0100 2964 2025

न्यायालय सत्र न्यायाधीश, देवरिया।

जमानत प्रार्थना-पत्र संख्या- 1168/2026

दीपक उर्फ सोकन यादव पुत्र श्रीराम यादव
साकिन- नैनी डैनी, थाना- लार, जिला- देवरिया।

प्रार्थी/अभियुक्त,

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य प्रतिपक्षी

मुकदमा अपराध संख्या- 250/2024,
धारा- 103(1),238(a),61(2) भा.न्या.सं.
थाना- लार, जनपद- देवरिया।

निस्तारण जमानत प्रार्थना-पत्र

1. प्रस्तुत जमानत प्रार्थना-पत्र प्रार्थी/अभियुक्त **दीपक उर्फ सोकन यादव**, जो मुकदमा अपराध संख्या- 250/2024, धारा- 103(1),238(a),61(2) भा.न्या.सं., थाना- लार, जनपद- देवरिया के मामले में न्यायिक अभिरक्षा में निरूद्ध है, के द्वारा प्रस्तुत किया गया है।

2. प्रार्थी/अभियुक्त के जमानत प्रार्थना-पत्र के साथ शपथकर्ता- अजय यादव द्वारा इस आशय का शपथ-पत्र प्रस्तुत किया गया कि अभियुक्त का यह प्रथम जमानत प्रार्थना-पत्र है।

3. प्रथम सूचनाकर्ती फुलेसरी देवी द्वारा थाना लार, जिला देवरिया में इस आशय का प्रार्थना-पत्र दिया गया कि उसका लड़का राहुल गांव के ही इंडियन ऑयल पर काम करता था। एक सप्ताह पहले पेट्रोल पम्प के मैनेजर गजेन्दर सिंह निवासी ठाकुर गौरी ने एक सप्ताह पहले उसके लड़के राहुल को मार-पीट कर उसका मुंह और दांत तोड़ दिये थे और उसके लड़के को घर पर लाकर छोड़ गये और गाली-गुप्ता धमकी भरे कहे कि इसके साथ कुछ होता है तो हम जिम्मेदार नहीं होंगे। रोजाना की तरह उसका लड़का दिनांक 26.07.2024 को सुबह 05:00 बजे घर से रोजाना की तरह पेट्रोल टंकी पर झाड़ू लगाने लया तब से देर रात तक उसका कोई पता नहीं चला, काफी खोजबीन भी की। दिनांक 27.07.2024 को लगभग 07:00 बजे दिन में ग्रास भैंसही के लोगों ने बताया कि उसका लड़का मृत्यु अवस्था में ग्राम बरडीहा दलपत स्थित घुरहुबीर बाबा स्थान के पास पड़ा हुआ है। तब उसके घरवाले और गांव के लोग पहुँचे तो पता चला कि उसकी गर्दन, सिर व शरीर के अन्य भागों में चोट लगी हुई थी व आँख भी फोड़ दिये थे। जैसा कि लगता था कि उसको मारकर उसके शरीर पर गरम पानी अथवा कोई केमिकल डाल दिया

गया था क्योंकि उसके शरीर को छूने पर चमड़ी छुट जा रही थी। उन्हें विश्वास है कि इस घटना को इंडियन पेट्रोल पम्प के मैनेजर और उसके कर्मचारियों द्वारा किया गया है, जिनका नाम अज्ञात है। अतः पेट्रोल पम्प के मैनेजर गजेन्द्र सिंह व उनके कर्मचारियों के विरुद्ध उचित कार्यवाही किये जाने की माँग की गयी है।

4. प्रथम सूचनाकर्ता के उपरोक्त प्रार्थना-पत्र के आधार पर दिनांक 27.07.2024 को अभियुक्तगण गजेन्द्र सिंह एवं इंडियन पेट्रोल पम्प के कर्मचारी नाम व पता अज्ञात के विरुद्ध थाना- लार, जिला- देवरिया में मुकदमा अपराध संख्या- 250/2024, धारा- 103(1),238 भा.न्या.सं. के तहत मुकदमा पंजीकृत किया गया। दौरान विवेचना विवेचक द्वारा धारा 61(2) भा.न्या.सं. की बढ़ोत्तरी की गयी।

5. प्रार्थी/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा मुख्यतः यह तर्क प्रस्तुत किए गए हैं कि वह निर्दोष है एवं उसने कोई अपराध कारित नहीं किया है। तथाकथित घटना दिनांक 26.07.2024 की कही जाती है, जिसकी प्रथम सूचना रिपोर्ट दिनांक 27.07.2024 को दर्ज करायी गयी है। प्रार्थी/अभियुक्त प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामजद नहीं है। रपट में प्रार्थी/अभियुक्त के विरुद्ध कोई शंका भी व्यक्त नहीं की गयी है और न ही कथित घटना का कोई हेतुक है। प्रस्तुत मामला परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर आधारित है और प्रार्थी/अभियुक्त के विरुद्ध परिस्थिति जन्य साक्ष्य की श्रृंखला है वह अधूरी है। प्रस्तुत केस की प्रथम सूचना रिपोर्ट व मृतक राहुल का पोस्टमार्टम एक-दूसरे के विरोधाभाषी है। प्रस्तुत केस के मृतक का शव विच्छेदन दिनांक 22.07.2024 को हुआ है और मौत की अवधि डेढ़ दिन पायी गयी है। मृतक के पोस्टमार्टम रिपोर्ट में उसके शरीर पर Peeling of skin पाया गया है मौत के डेढ़ दिन के अन्दर शव पर Peeling of skin मिलना संभव नहीं है। Peeling of skin को देखने से स्पष्ट है कि जिस समय मृतक की मृत्यु होना कहा जाता है, उस समय की घटना मौत न होकर कोई अन्य घटना घटित हुई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मृतक के शरीर पर कोई केमिकल या थर्मल या हिट एवं बर्न इंजरी भी नहीं पायी गयी है और उक्त तीनों प्रकार के बर्न पाये गये होते तो मृतक की मौत शव विच्छेदन से डेढ़ दिन पूर्व होना संभव था मगर किसी प्रकार की बर्न चोट के अभाव में मृतक की मौत शव विच्छेदन से डेढ़ दिन पूर्व होना कदापि संभव नहीं है। प्रस्तुत केस की रपट में मृतक की आँख भी फोड़ना अंकित किया गया है मगर शव विच्छेदन करने वाले डॉक्टर ने मृतक की दोनों आँखें सही सलामत पायी है। प्रार्थी/अभियुक्त के पास से किसी भी प्रकार की कोई बरामदगी नहीं है। प्रस्तुत केस में वादी न तो घटना का साक्षी है और न ही किसी गवाह ने घटना कारित होते अपनी आँख से देखा है। प्रस्तुत हत्या अंधी हत्या है। प्रस्तुत केस का मृतक शराबी व आवारा किस्म का व्यक्ति था, जो क्षेत्र के तमाम लोगों की आँख का कांटा बना हुआ था। घटना के बाद एक साल तक प्रार्थी/अभियुक्त की गिरफ्तारी न होना व इस बीच तमाम लोगों को गिरफ्तार कर थाने से रिहा

करना और प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा कहीं फरार न होना और जब-जब थाने पर बुलाया गया, उसका थाने पर उपस्थित होना, उसकी निर्दोषिता का प्रमाण है। परिस्थितिजन्य साक्ष्य के मामले में किसी व्यक्ति को तभी दोषी माना जाता है जब उस व्यक्ति के अलावा किसी अन्य व्यक्ति द्वारा कथित हत्या करने की दूर-दूर तक संभावना न हो। प्रस्तुत केस में पोस्टमार्टम रिपोर्ट व मृतक की शव परीक्षण आख्या में एकरूपता नहीं है क्योंकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मृतक की मृत्यु का तात्कालिक कारण Esphyxia due to atimortem stagulation and viscera preserved for chemical examination for other evidence अंकित है जबकि रपट में अंकित है कि राहुल को मारकर उसके शरीर पर गरम पानी अथवा केमिकल डाल दिया गया था क्योंकि उसके शरीर को छूने पर चमड़ी छूट रही थी। प्रस्तुत केस के पर्चा नं० 48 में घटना के लगभग 01 वर्ष 05 माह बाद दिनांक 08.12.2025 को प्रस्तुत मामले में नामजद अभियुक्त का नाम विलोपित करते हुए, प्रार्थी/अभियुक्त व सह-अभियुक्त का नाम प्रकाश में लाया गया है। प्रार्थी/अभियुक्त की किसी अपराध में दोषसिद्धी नहीं हुई है। सह-अभियुक्तगण की जमानत स्वीकार की जा चुकी है। प्रार्थी/अभियुक्त की गिरफ्तारी उसके घर से हुई है तथा तीन दिन बाद थाना लार में उसको निरुद्ध रखा गया और तीन बाद प्रस्तुत केस में फर्जी चालान कर दिया गया। प्रार्थी/अभियुक्त की अदावतन थाना लार पुलिस व क्षेत्रीय विधायक से चली आ रही है। प्रार्थी/अभियुक्त व उसके परिवार वालों ने विगत चुनाव में स्थानीय विधायक का विरोध कर, समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के पक्ष में प्रचार किया गया था। प्रार्थी/अभियुक्त दिनांक 11.06.2026 से जिला कारागार, देवरिया में निरूद्ध है। तद्नुसार प्रार्थी/अभियुक्त को जमानत पर रिहा किये जाने का निवेदन किया गया।

6. अभियोजन पक्ष की ओर से विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) ने जमानत प्रार्थना-पत्र का विरोध करते हुए तर्क प्रस्तुत किया कि प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा सह-अभियुक्तगण के साथ मिलकर, आपराधिक षड्यन्त्र के तहत प्रथम सूचनाकर्ता के लड़के राहुल की हत्या की गई है एवं साक्ष्य को छिपाने के आशय से उसकी लाश को झाड़ी में ले जाकर फेंक दिया गया। अपराध की गम्भीरता एवं दण्ड की मात्रा को देखते हुए जमानत प्रार्थना-पत्र निरस्त किये जाने का निवेदन किया गया है।

7. प्रस्तुत मामले की केस डायरी के अवलोकन से स्पष्ट है कि अभियोजन कथानक के अनुसार प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा सह-अभियुक्तगण के साथ मिलकर, आपराधिक षड्यन्त्र के तहत प्रथम सूचनाकर्ता के लड़के राहुल की हत्या करने एवं साक्ष्य को छिपाने के आशय से उसकी लाश को झाड़ी में ले जाकर फेंक दिये जाने का कथन है। प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा अपने जमानत प्रार्थना-पत्र में अभियोजन के उपरोक्त कथनों से इंकार किया गया है। मृतक राहुल के पोस्टमार्टम रिपोर्ट में उसकी मृत्यु का तात्कालिक कारण "Asphyxia"

एवं मृत्यु की वजह "Antemortem Strangulation & Viscera preserved for chemical examination for other evidence" अंकित है, जबकि प्रस्तुत मामले की प्रथम सूचना रिपोर्ट में अंकित है कि राहुल को मारकर उसके शरीर पर गरम पानी अथवा कोई केमिकल डाल दिया गया था क्योंकि उसके शरीर को छूने पर चमड़ी छुट जा रही थी। इस प्रकार प्रथम सूचना रिपोर्ट एवं पोस्टमार्टम रिपोर्ट एकरूपता नहीं है। प्रस्तुत मामले की प्रथम सूचना रिपोर्ट घटना के अगले दिन दिनांक 27.07.2024 को अभियुक्तगण गजेन्दर सिंह एवं इण्डियन पेट्रोल पम्प के कर्मचारियों के विरुद्ध दर्ज करायी गई है। दौरान विवेचना विवेचक द्वारा केस डायरी के पर्चा नंबर 47 में घटना के लगभग एक वर्ष चार माह दस दिन बाद दिनांक 07.12.2025 को मामले के नामजद अभियुक्तगण का नाम विलोपित करते हुए, प्रार्थी/अभियुक्त का नाम प्रकाश में लाया गया है, जो कि अत्यधिक विलम्ब से है। प्रस्तुत मामले में सह-अभियुक्तगण अखिलेश यादव उर्फ मिंकल की जमानत दिनांक 12.01.2026 तथा परमेश्वर उरॉव की जमानत दिनांक 09.04.2026 को श्रीमान् जनपद न्यायाधीश, देवरिया द्वारा स्वीकार की जा चुकी है। अभियोजन पक्ष की ओर से प्रार्थी/अभियुक्त का कोई आपराधिक इतिहास प्रस्तुत नहीं किया गया है। प्रार्थी/ अभियुक्त दिनांक 11.06.2026 से जिला कारागार, देवरिया में निरुद्ध है।

8. अतः प्रस्तुत मामले के समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए, मामले के गुण-दोष पर बिना विचार व्यक्त किये, उपरोक्त प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत जमानत स्वीकार किये जाने का आधार पर्याप्त है। तदनुसार प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र सशर्त स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

प्रार्थी/अभियुक्त **दीपक उर्फ सोकन यादव** की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थना-पत्र सशर्त स्वीकार किया जाता है। प्रार्थी/अभियुक्त उपरोक्त द्वारा मु०- 1,00,000/- रूपये की दो प्रतिभू एवं इतनी ही राशि का व्यक्तिगत बंध-पत्र संबंधित न्यायिक मजिस्ट्रेट की संतुष्टि पर, प्रस्तुत करने के उपरान्त, निम्न शर्तों के साथ प्रार्थी/अभियुक्त को जमानत पर रिहा किया जाए-

1. प्रार्थी/अभियुक्त इस केस में नियत प्रत्येक तिथि पर न्यायालय के समक्ष निर्धारित समय पर उपस्थित रहेगा।

2. प्रार्थी/अभियुक्त गवाहान को डरायेगा, धमकायेगा नहीं एवं विचारण में पूर्ण सहयोग करेगा।

3. प्रार्थी/अभियुक्त स्वयं के निवास स्थान एवं उसके प्रतिभू के निवास स्थान में परिवर्तन में इसकी सूचना न्यायालय को उपलब्ध करायेगा।

4. प्रार्थी/अभियुक्त न्यायालय में परीक्षण के दौरान जब अभियोजन के साक्षी, साक्ष्य हेतु उपस्थित रहेगा, तब किसी आधार पर स्थगन प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत नहीं करेगा।

5. प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा बन्ध-पत्र एवं जमानत प्रपत्र संबंधित

न्यायालय में प्रस्तुत किये जाने की तिथि से तीन दिवस के अन्दर संबंधित थानाध्यक्ष एवं तहसीलदार सत्यापन आख्या संबंधित न्यायालय में प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित करे।

इस आदेश में दिए गए निष्कर्ष मामले के गुण-दोष को प्रभावित नहीं करेंगे।

sd/-

(काशी नाथ)

दिनांकः- 24.06.2026

प्रभारी सत्र न्यायाधीश,

देवरिया।